चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 12.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी उत्तम सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 एफटीसी श्री अश्विनी द्वारा आज दिनाँक 12.03.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत एनसीआर नंबर 504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रविकरन पुत्र मंगाली

निवासी रैपुरा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं अभियुक्त मंगाली पुत्र पंचा निवासी रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार ,प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 12.03.2026 को. थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/12,23/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त सत्यनारायण कोल पुत्र शिवमोहन निवासी नांगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा एवं हमराहीगण द्वारा 05 अभियुक्तों को जुला खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.अंकुर पुत्र बाबूलाल नि० घुरेटा थाना रेपुरा जनपद चित्रकूट 2. तुलसी भास्कर पुत्र। पुत्र फूलचन्द नि० जमुना रोड कस्बा मऊ 3. गोपाल पुत्र भईया लाल निषाद नि कस्बा मऊ 4. मोहित पुत्र भागीरथी नि० कस्बा मऊ 5. भोला गुप्ता पुत्र भैरव प्रसाद नि० कस्बा मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड 3280/- रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 11000/- रुपये बरामद किये गये।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा

2.का० बृजेन्द्र राय

3.का० पुष्पेन्द्र कुमार

4.का० सोनपाल सिंह

5. काo शुभम त्रिपाठी

(6). आज दिनांक 12.03.2026 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में जनपद के समस्त गैस एजेन्सी संचालकों, क्षेत्रीय विक्रय अधिकारी (ऑयल कम्पनी) तथा जिला पूर्ति अधिकारी आदि के साथ बैठक आहूत हुयी, जिसमें समस्त गैस संचालको डी0ए0सी0 (डिलीवरी ऑथंटिकेशन कोड) के माध्यम से ही घरेलू गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी उपलब्ध कराए जाने, बुकिंग कराए जाने सम्बन्धी समस्त विकल्पों का सूचना पटट् पर प्रदर्शित कराए जाने, कालाबाजारी/डायवर्जन न किए जाने, डिलीवरी मैन द्वारा किसी भी उपभोक्ता से गैस की निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि न लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही क्षेत्रीय विक्रय अधिकारी (ऑयल कम्पनी) को जनपद में मांग के अनुरूप निरन्तर गैस की आपूर्ति कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय विक्रय अधिकारी (ऑयल कम्पनी) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में निर्बाध रूप से गैस की आपूर्ति हो रही है तथा जनपद में घरेलू एल0पी0जी0 गैस सम्बन्धी कोई कमी नहीं है।

अतः आम जनमानस को अवगत कराना है कि जनपद में घरेलू एल0पी0जी0 की आपूर्ति निर्बाध रूप से आपूर्ति हो रही है, सम्बन्धित गैस एजेन्सी पर जाकर गैस रिफिल सम्बन्धी बुकिंग कराते हुए गैस प्राप्त करें। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी एल0पी0जी0 उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो वह टोल फ्री नं0- 8737991456 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।